

दिनांक 17 अप्रैल 2015

मित्रों नमस्कार आज के पेपर मे कुछ खबरे ऐसी है जो हमारे काम की तो है लेकिन बेकार है

1. मंत्री जी से कल ही बात हुई और मान्यता की विज्ञप्ति निकाल दी गई लेकिन उसमे पुराने नियमों मे कोई ढील नहीं दी गई है । जबकि पिछले दिनों निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने राजस्थान भर मे ढिढोरा पीटा था कि सरलीकरण करने जा रहे हैं ।
2. माना सरलीकरण करने मे टाईम लगता है क्योंकि एकट मे संशोधन से संभव था, लेकिन कुछ नियमों जैसे शुल्क/एफडी/कनवर्जन /भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आदि मे ढील संभव थी क्योंकि ये संभव हैं ।
3. मंत्री जी से आज कल बात कर इस बारे मे ढील करवाई जायेगी ।
4. आरटीई मे पुनः भरण मे बुक्स की पाबन्दी लगा दी जो गलत है उसका भी हल केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर किया जाने के प्रयास किये जायेगे ।

उपरोक्त दोनों समस्याओं के समाधन के लिए एक दो दिन मे रोड मैप तैयार किया जा कर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

हेमलता शर्मा / अनिल शर्मा व टीम